दिनांक 10.08.2016 को अपराह्न 3.00 बजे से प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में आहूत मासिक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– पंजी के अनुसार

कार्यवाही :– प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा निम्न निदेश दिये गये–

1. मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के समरूप वित्तीय वर्ष 2016–17 में भी योजना चलाई जाय, इसके लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों से कलस्टर का प्रस्ताव प्राप्त किया जाय।
2. सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र की स्थापना बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में करने के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त किया जाय।
3. बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा गया जिले के मानपुर में डाईंग सह पावर लूम उद्योग को बन्द करने संबंधी उठे स्थानीय विवाद पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) को निदेश दिया गया कि वे डाईंग एवं पावरलूम उद्योग को सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपील आवेदन देने का परार्मश दें।
4. दिनांक 17.06.2016 के आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बुनकर मुद्रा योजना के तहत सर्वप्रथम बांका, भागलपुर, औरंगाबाद, पटना तथा गया के वैसे क्षेत्र जहाँ 50 से अधिक गैर–बकायेदार बुनकर हो, वहाँ कैम्प लगाकर योजना का प्रचार–प्रसार किया जाय तथा बुनकरों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाये।
5. हस्तकरघा क्षेत्र के पुनरूद्धार, सुधार एवं पुनर्निर्माण पैकेज योजनान्तर्गत कम्प्यूटराइजेशन हेतु वास्तविक रूप से कार्यरत पात्र समितियों की सूची अविलम्ब निदेशालय को भेजने तथा लाभ प्राप्त समितियों का ऋण आवेदन पत्र बैंक को भेजने का निदेश सहायक निबंधक, बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना को दिया गया।
6. औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखण्ड के बुनकरों को बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभान्वित किये जाने के संबंध में बिहार विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या ए–4 से उदभूत सरकारी आश्वासन सं0 15/14 का अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद को दिया गया।
7. सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को निर्देश दिया गया है कि अपने–अपने जिला अवस्थित बैंकों से दिनांक 31.03.2007 तक हस्तकरघा एवं पावरलूम बुनकरों द्वारा लिए गए ऋण की मूलधन एवं सूद की राशि संबंधी व्यौरा बैंकवार प्राप्त कर जिला पदाधिकारी के माध्यम से यथाशीघ्र विभाग को ऋण प्रस्ताव एवं सूची उपलब्ध करा दें।
8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना– सभी महाप्रबंधक (गया एवं भागलपुर को छोड़कर), जिला उद्योग केन्द, उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) गया/भागलपुर को योजना के अन्तर्गत बुनकर परिवार की सूची एवं विवरणी प्रपत्रानुसार Ms Excel में तैयार कर सॉफ्ट कॉपी में भेजने का निदेश दिया गया। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि बुनकरों के चयन के समय वह आश्वस्त हो लेंगे कि लाभुक बुनकर दुबारा लाभ प्राप्त न कर सकें।
9. उपर्युक्त योजनाओं के संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिये जाने वाले पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

29/8

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1416 पटना/दिनांक– 30/8/16

प्रतिलिपि–1. सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/8

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।